

अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46-DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	16270,63,00		
पूरक	Supplementary	280,54,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	16551,17,00	15083,70,77	-1467,46,23
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	725,59,00		
पूरक	Supplementary	51,25,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	776,84,00	261,65,70	-515,18,30
				1179,20,00
				485,45,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (146746.23 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 28054.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.146746.23 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.28054.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services	2790.00	2370.54	-419.46
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	454187.00		
पू.	S.	28052.00		
पु.	R.	12459.23		
		494698.23	467426.14	-27272.09

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare			
मू.	O.	642429.00		
पू.	S.	2.00	654745.33	658105.88
पु.	R.	12314.33		+3360.55
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	137350.00		
पु.	R.	-133508.65	3841.35	. . -3841.35
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	368427.00		
पु.	R.	-6767.91	361659.09	361017.47
				-641.62
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	3100.00		
पु.	R.	950.00	4050.00	4041.16
				-8.84
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments			
मू.	O.	18680.00		
पु.	R.	-3309.00	15371.00	15370.97
				-0.03

(I) 203552.00 लाख रु. का प्रावधान पैसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 202331.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाना वाला व्यय" - 40000.00 लाख रु. निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य व्यय - राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अनुदान" - 200.00 लाख रु. बोर्ड द्वारा उपयुक्त प्राप्तियां जुटाए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव" - 2000.00 लाख रु.;

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" -

(i) "एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - 600.00 लाख रु.;

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र" - 120.00 लाख रु.;

(ग) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र" - 11500.00 लाख रु.;

(घ) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - 250.00 लाख रु.;

(ङ) "परिवार कल्याण - जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना" - 710.00 लाख रु.;

(च) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(I) Provision of Rs.203552.00 lakhs remained wholly unutilised under sixty five heads; of these Rs.202331.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Expenditure to be incurred on Institutions of higher learning as per Oversight Committee" - Rs.40000.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme as per recommendations of the Oversight Committee.

(b) "Medical Education, Training and Research - Other Expenditure - Grants to National Board of Examination" - Rs.200.00 lakhs - due to generation of adequate receipts by the Board.

(B) Major Head "2552" -

(a) "FW - Direction and Administration - Maintenance of State/Distt. FW Bureau" - Rs.2000.00 lakhs;

(b) "FW - Training" -

(i) "Training of ANM/LHVs" - Rs.600.00 lakhs;

(ii) "Health & FW Training Centres" - Rs.120.00 lakhs;

(c) "FW - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres" - Rs.11500.00 lakhs;

(d) "FW - Urban Family Welfare Services - Urban Family Welfare Centres" - Rs.250.00 lakhs;

(e) "FW - Mass Education - Information, Education and Communication - RCH Project" - Rs.710.00 lakhs;

(f) "FW - Reproductive & Child Health" -

- | | |
|---|--|
| (i) "राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल" - 24880.00 लाख रु.; | (i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – Rs.24880.00 lakhs; |
| (ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - 3180.00 लाख रु.; | (ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.3180.00 lakhs; |
| (iii) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति" - 1650.00 लाख रु.; | (iii) "Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme" – Rs.1650.00 lakhs; |
| (iv) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की आपूर्ति" - 2030.00 लाख रु.; | (iv) "Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme" – Rs.2030.00 lakhs; |
| (v) "वैक्सीन आदि को छोड़कर औषधियों और उपकरणों की आपूर्ति" - 2000.00 लाख रु.; | (v) "Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccine etc." – Rs.2000.00 lakhs; |
| (छ) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां" - | (g) "FW – Other Services & Supplies" - |
| (i) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति" - 200.00 लाख रु.; | (i) "Free Supply of FP Material to States/UTs" – Rs.200.00 lakhs; |
| (ii) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - 500.00 लाख रु.; | (ii) "Social Marketing of Contraceptives" – Rs.500.00 lakhs; |
| (ज) "परिवार कल्याण - अन्य व्यय" | (h) "FW – Other Expenditure" - |
| (i) "लोक-निजी भागीदारी - पी पी पी के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना" - 210.00 लाख रु.; | (i) "Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership-PPP" – Rs.210.00 lakhs; |
| (ii) "प्रबंधन सूचना प्रणाली" - 256.00 लाख रु.; | (ii) "Management Information System" – Rs.256.00 lakhs; |
| (iii) "मिशन लचीला पूल" - 47260.00 लाख रु.; | (iii) "Mission Flexible Pool" – Rs.47260.00 lakhs; |
| (झ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" - 400.00 लाख रु.; | (i) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting-up of Dispensaries and Hospitals" – Rs.400.00 lakhs; |
| (ञ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" - | (j) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" - |
| (i) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" - 7500.00 लाख रु.; | (i) "North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" – Rs.7500.00 lakhs; |

- (ii) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली" - 3250.00 लाख रु.;
- (iii) "राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम" - 3000.00 लाख रु.;
- (iv) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - 1000.00 लाख रु.;
- (v) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदोलेई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - 300.00 लाख रु.;
- (vi) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल" - 200.00 लाख रु.;
- (ट) "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास" - 150.00 लाख रु.;
- (ड) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण" -
- (i) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 3750.00 लाख रु.;
- (ii) "राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 535.00 लाख रु.;
- (iii) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 1800.00 लाख रु.;
- (iv) "राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम" - 1400.00 लाख रु.;
- (v) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 12300.00 लाख रु.;
- (vi) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - 1200.00 लाख रु.;
- (ड) "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय" -
- (i) "राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - 800.00 लाख रु.;
- (ii) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - Rs.3250.00 lakhs;
- (iii) "National Cancer Control Programme" - Rs.3000.00 lakhs;
- (iv) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - Rs.1000.00 lakhs;
- (v) "Lokpriya Gopinath Borodoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - Rs.300.00 lakhs;
- (vi) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" - Rs.200.00 lakhs;
- (k) "Public Health - Training - Development of Nursing Services" - Rs.150.00 lakhs;
- (l) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -
- (i) "National Vector Borne Disease Control Programme" - Rs.3750.00 lakhs;
- (ii) "National Leprosy Control Programme" - Rs.535.00 lakhs;
- (iii) "National T.B. Control Programme" - Rs.1800.00 lakhs;
- (iv) "National Blindness and Trachoma Control Programme" - Rs.1400.00 lakhs;
- (v) "National AIDS Control Programme" - Rs.12300.00 lakhs;
- (vi) "National Mental Health Programme" - Rs.1200.00 lakhs;
- (m) "Public Health - Other Expenditure" -
- (i) "National Integrated Diseases Surveillance Programme" - Rs.800.00 lakhs;

(ii) “अभिधात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता”
- 900.00 लाख रु.; और

(iii) “तम्बाकू मुक्ति का सूत्रपात” - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तैंतीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपस्करों की आपूर्ति” - 17800.00 लाख रु. विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम” - 3200.00 लाख रु. प्रचालनात्मक कठिनाइयों की वजह से प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष “3606” - “एड्स, क्षयरोग और मलेरिया का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता” - 4500.00 लाख रु. अधिप्राप्ति अभिकरण के माध्यम से अधिप्राप्ति किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2210” - “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” के अंतर्गत 16710.55 लाख रु. के मूल प्रावधान को 28050.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 44760.55 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीडीटी की आपूर्ति में भारी गिरावट आने और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के माध्यम से प्रक्रिया की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण 4286.26 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) “Assistance for Capacity Building for Trauma Centres” – Rs.900.00 lakhs; and

(iii) “Tobacco Free Initiatives” – Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above thirty three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head “3601” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Family Welfare – Reproductive and Child Health – Supply of RCH Drugs & Equipments” – Rs.17800.00 lakhs – due to non-finalisation of agreement with the World Bank.

(b) “Public Health – Prevention and Control of Diseases - Integrated Disease Surveillance Programme” – Rs.3200.00 lakhs – due to reduction in number of laboratories owing to operational problems.

(D) Major Head “3606” – “Assistance from Global Fund to Fight AIDS, T.B. and Malaria (GFATM) – Material Assistance for National T.B. Control Programme” – Rs.4500.00 lakhs – due to procurement being done through procurement agency.

(II) Under Major Head “2210” – “Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Diseases Control Programme” – the original provision of Rs.16710.55 lakhs was augmented to Rs.44760.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.28050.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4286.26 lakhs – due to substantial decrease in the supply of DDT to States/UTs and delay in procurement process through Hindustan Latex Limited.

(III) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत 409.62 लाख रु. की बचत (2771.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और चिकित्सा दावों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय" - 130.37 लाख रु. की बचत (2192.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "चिकित्सा भंडार संगठन - डिपो" - 605.61 लाख रु. की बचत (2420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और नए वाहनों की खरीद/अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "अस्पताल और औषधालय - अखिल भारतीय भौतिक औषधि और पुनर्वास संस्थान, मुंबई" - 127.08 लाख रु. की बचत (930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा कालेजों में भौतिक औषधि और पुनर्वास विभाग में सुविधाओं के उन्नयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(क) "कैंसर अनुसंधान" - 6370.58 लाख रु. की बचत (11600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण से सहायता संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" - 2001.88 लाख रु. की बचत (49000.00 लाख रु.

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of Rs.409.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2771.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure on medical claims.

(IV) Under Major Head - "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Direction and Administration - Directorate General of Health Services" - saving of Rs.130.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2192.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(b) "Medical Stores Organisation - Depots" - saving of Rs.605.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2420.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of the proposal for purchase of new vehicles/replacement of condemned vehicles.

(c) "Hospitals and Dispensaries - All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai" - saving of Rs.127.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.930.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards upgradation of facilities in the Department of Physical Medicine and Rehabilitation in Medical Colleges.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Cancer Research" - saving of Rs.6370.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11600.00 lakhs) was due to non-materialisation of the proposals for assistance from Japan International Co-operation Agency.

(b) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - saving of Rs.2001.88 lakhs

- के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (ग) “जवाहरलाल चिकित्सा कालेज, पांडिचेरी” - 408.00 लाख रु. की बचत (2982.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “एम्स की तरह के अति विशिष्ट अस्पताल एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन” - 6250.62 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को लागू किए जाने में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।
- (गा) “लोक स्वास्थ्य” -
- (क) “निर्देशन और प्रशासन - विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना” - 350.71 लाख रु. की बचत (1174.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सामग्री/वस्तुओं/अन्य विविध मदों की कम खरीद किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “प्रशिक्षण - केंद्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंग्लेपट्टू” - 286.56 लाख रु. की बचत (735.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्थायी पदों को बनाए रखने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण” -
- (i) “राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान” - 447.00 लाख रु. की बचत (2230.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और वर्ष के दौरान दौरे और प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (against the sanctioned provision of Rs.49000.00 lakhs) was due to reduced requirement towards construction works.
- (c) “Jawaharlal Medical College, Pondicherry” – saving of Rs.408.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2982.30 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tour undertaken.
- (d) “Establishment of AIIMS type Super-Specialty Hospitals-cum Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals” – saving of Rs.6250.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of the schemes.
- (C) “Public Health” –
- (a) “Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Health Organisation” - saving of Rs.350.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1174.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less purchase of materials/articles/other misc. and economy measures.
- (b) “Training – Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chenglepattu” – saving of Rs.286.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.735.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for continuation of temporary posts by competent authority.
- (c) “Prevention and Control of Diseases” -
- (i) “National Institute of Communicable Diseases” – saving of Rs.447.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2230.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tour and training programme conducted during the year.

- (ii) “आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम” - 466.74 लाख रु. की बचत (2130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लवण जांच किटों की अधिप्राप्ति के आदेश न दिए जाने की वजह से प्रक्रियात्मक विलंब होने के कारण हुई।
- (iii) “राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम” - 968.27 लाख रु. की बचत (2663.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (iv) “राष्ट्रीय नशीली दवा व्यसनरोधी कार्यक्रम” - 108.96 लाख रु. की बचत (998.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (v) “राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” - 4342.64 लाख रु. की बचत (5800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयुक्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (घ) “औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन” - 242.06 लाख रु. की बचत (1390.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और मरम्मत/रख-रखाव कार्य न किए जाने के कारण हुई।
- (ङ) “लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं” -
- (i) “केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली” - 100.56 लाख रु. की बचत (2002.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिप्राप्तियों पर कम व्यय होने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान” - 1134.00 लाख रु. की बचत (2266.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पदों को स्वीकृत न किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से प्रयोगशाला उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “Iodine Deficiency Disorders Control Programme” – saving of Rs.466.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2130.00 lakhs) was due to procedural delay owing to non-placement of orders for procurement of salt testing kits.
- (iii) “National Leprosy Control Programme” – saving of Rs.968.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2663.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.
- (iv) “National Drug De-addiction Programme” – saving of Rs.108.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.998.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments.
- (v) “National Mental Health Programme” – saving of Rs.4342.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5800.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from the State Governments.
- (d) “Drug Control – Central Drugs Standards Control Organisation” – saving of Rs.242.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1390.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-undertaking of repair/maintenance work.
- (e) “Public Health Laboratories” –
- (i) “Central Research Institute, Kasauli” – saving of Rs.100.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2002.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure on procurements.
- (ii) “National Institute of Biological Standardisation and Quality Control” – saving of Rs.1134.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2266.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new posts and less procurement of laboratory equipments owing to non-approval by the competent authority.

- (च) “लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता” - 115.04 लाख रु. की बचत (911.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (छ) “लोक स्वास्थ्य प्रचार - केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली” - 112.79 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और अस्पतालों/औषधालयों/संस्थानों के लिए मशीनरी/उपस्करों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ज) “अन्य व्यय” -

- (i) “स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा संबंधी तैयारी और प्रबंधन” - 316.69 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी, उपस्करों और आपूर्तियों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “तम्बाकू से मुक्ति का सूत्रपात” - 1801.57 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोडीय औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण हुई।
- (iii) “हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति” - 201.02 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीन की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।
- (iv) “केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नए सूत्रपात” - 2295.36 लाख रु. की बचत (7200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से स्कीमों शुरू न किए जाने के कारण हुई।
- (v) “क्षमता निर्माण के लिए सहायता” - 3023.00 लाख रु. की बचत (6873.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयुक्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (f) “Public Health Education – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata” – saving of Rs.115.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.911.00 lakhs); and
- (g) “Public Health Publicity – Central Health Education Bureau, New Delhi” – saving of Rs.112.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and less purchase of machinery/equipments for hospitals/dispensaries/Institutes.

(h) “Other Expenditure” -

- (i) “Health Sector Disaster Preparedness and Management” – saving of Rs.316.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to less procurement of machinery, equipment and supplies.
- (ii) “Tobacco Free Initiatives” – saving of Rs.1801.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to non-completion of codal formalities.
- (iii) “Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims” – saving of Rs.201.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to less procurement of vaccine.
- (iv) “New Initiatives under Central Schemes” – saving of Rs.2295.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7200.00 lakhs) was due to non-taking up of the schemes owing to procedural delay.
- (v) “Assistance for Capacity Building” – saving of Rs.3023.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6873.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from State Governments.

- (vi) “भोजन और औषधियों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना - बाह्य सहायताप्राप्त संघटक” - 4386.44 लाख रु. की बचत (5227.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मजदूरी, कार्यालय व्ययों और लघु निर्माण कार्यों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (घा) “सामान्य - स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढीकरण” - 111.00 लाख रु. की बचत (313.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए वाहनों की खरीद/अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (V) मुख्य शीर्ष “2211” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (का) “निदेशन और प्रशासन - क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय” - 127.72 लाख रु. की बचत (380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।
- (खा) “प्रशिक्षण” -
- (क) “राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली” - 226.25 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1807.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन के रख-रखाव पर योजना से कम व्यय होने के कारण हुई।
- (ख) “परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई” - 550.15 लाख रु. की बचत (674.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और निधियों का अंतरण “मुख्य निर्माण कार्य” से मुख्य शीर्ष “4211” को किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “नसबंदी करने/नसबंदी खोलने संबंधी प्रशिक्षण” - 268.51 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 271.00 लाख रु. कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (vi) “Capacity Building Project for Food and Drugs – Externally Aided Component” – saving of Rs.4386.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5227.00 lakhs) was due to less requirement of funds towards wages, office expenses and minor works.
- (D) “General – Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems” – saving of Rs.111.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.313.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for purchase of new vehicles/ replacement of condemned vehicles and economy measures.
- (V) “Under Major Head “2211” – savings occurred under the following heads:-
- (A) “Direction and Administration – Regional Health Offices” – saving of Rs.127.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.380.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.
- (B) “Training” -
- (a) “National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi” – saving of Rs.226.25 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1807.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to less expenditure on maintenance of building than planned.
- (b) “Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai” – saving of Rs.550.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.674.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and transfer of funds for “Major Works” to Major Head “4211”.
- (c) “Training in Sterilisation/Recanalisation” – saving of Rs.268.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.271.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to less number of trainings conducted.

- (घ) “पुरुष भागीदारी” - 229.53 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षुरिकारहित नसबंदी किट की जांच में अनुमान से अधिक समय लगने की वजह से उनकी कम अधिप्राप्ति किए जाने और बैठकें/प्रशिक्षण कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।
- (द) “Male Participation” – saving of Rs.229.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to less procurement of No Scalpel Vasectomy (NSV) kits owing to long time taken for testing and less number of meetings/trainings than planned.
- (ड) “ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़” - 116.62 लाख रु. की बचत (565.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (e) “Rural Health Training Centre, Nazafgarh” – saving of Rs.116.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.565.00 lakhs) was due to non-approval of the Plan Scheme.
- (गा) “जन शिक्षा” -
- (C) “Mass Education” -
- (क) “पीएनडीटी अधिनियम संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार” - 135.60 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Information, Education and Communication on PNDT Act” – saving of Rs.135.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity.
- (ख) “अन्य प्रचार कार्यक्रम” - 1258.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उप शीर्ष “मुख्यालय में कार्यक्रमलाप” से व्यय पूरा किए जाने के कारण हुई।
- (b) “Other Publicity Activities” – saving of Rs.1258.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs) was due to meeting the expenditure from sub-head “Activities at Headquarters”.
- (घा) “चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - अमरीकी सहायताप्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ” - 376.68 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दाता द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रमाणीकरण न किए जाने और झारखंड सरकार द्वारा परियोजना देर से शुरू किए जाने के कारण हुई।
- (D) “Selected Area Programmes(Including India Population Project) - USAID assisted Project – SIFPSA, U.P., Lucknow” – saving of Rs.376.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-certification of achievement of benchmarks by the donor and late start of project by Govt. of Jharkhand.
- (ड) “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य” -
- (E) “Reproductive and Child Health” –
- (क) “आरसीएच में प्रशिक्षण” - 349.26 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और निधि प्रवाह व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Training in RCH” – saving of Rs.349.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments and change in fund-flow mechanism.

- (ख) “आरसीएच में अनुसंधान और अध्ययन कार्यकलाप” - 305.08 लाख रु. की बचत (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान कार्यकलाप कम किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “ मुख्यालय में व्यय” - 702.47 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उप शीर्ष “मिशन लचीला पूल” से व्यय पूरा किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “औषधियों और उपकरणों (वैक्सीनों आदि से भिन्न) की अधिप्राप्ति” - 17833.39 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक के साथ करार को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ङ) “नेमी टीकाकरण कार्यक्रम” - 9580.12 लाख रु. की बचत (27700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब की वजह से कोल्ड चेन उपकरण की अधिप्राप्ति न किए जाने और मंत्रिमंडल द्वारा हेपेटाइटिस-बी के विस्तार को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (च) “पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम” - 32271.37 लाख रु. की बचत (125768.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक से प्राप्त दावों का समाधान न किए जाने और विदेशी सहायता प्राप्त होने की वजह से मुंह से पिलाई जाने वाली पोलियो की दवाई की अधिप्राप्ति के लिए घरेलू निधियों से कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।
- (छ) “बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में वैक्सीन आदि की आपूर्ति पर व्यय” - 334.56 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा वैक्सीनेटर्स और पर्यवेक्षकों को मानदेय की उच्च दरों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।
- (चा) “अन्य सेवाएं और आपूर्तियां” -
- (b) “Research & Study activities in RCH” – saving of Rs.305.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs) was due to undertaking of less research activities.
- (c) “Expenditure at Headquarter” – saving of Rs.702.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to meeting the expenditure from the sub-head “Mission Flexible Pool”.
- (d) “Procurement of Drugs & Equipments (Other than Vaccines etc.)” – saving of Rs.17833.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to non-finalisation of agreement with the World Bank.
- (e) “Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.9580.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27700.00 lakhs) was due to non-procurement of cold chain equipment owing to procedural delay and non-approval of extension of Hepatitis-B by the Cabinet.
- (f) “Pulse Polio Immunisation Programme” – saving of Rs.32271.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125768.00 lakhs) was due to non-settlement of claims received from Controller of Aids, Accounts & Audit and less release from domestic funds for procurement of Oral Polio Vaccine owing to receipt of foreign assistance.
- (g) “Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without Legislature” – saving of Rs.334.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to release of less funds to State/U.Ts owing to non-approval of higher rates of honorarium to Vaccinators and Supervisors by Cabinet Committee on Economic Affairs.
- (F) “Other Services and Supplies” -

- (क) “गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन” - 1829.05 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामाजिक विपणन संगठनों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ग) “परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - 2979.57 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लैप्रोस्कोपों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।
- (छा) “अन्य व्यय” -
- (क) “राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय” - 782.58 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रीमियम दरों में कमी की वजह से आईसीआईसीआई बैंक को स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” - 563.24 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी संगोष्ठियों के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और संबंधित कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को सांकेतिक धनराशि की अदायगी किए जाने के कारण हुई।
- (VI) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (का) “परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति” - 1953.43 लाख रु. की बचत (5640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लैप्रोस्कोपों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।
- (खा) “परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव” - 2071.75 लाख रु. की बचत (23170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (a) “Social Marketing of Contraceptives” – saving of Rs.1829.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to less demand from Social Marketing Organisations.
- (b) “Free Supply of FP Material” – saving of Rs.2979.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to non-procurement of Laparoscopes.
- (G) “Other Expenditure” -
- (a) “Measures under National Population Policy” – saving of Rs.782.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to less payment of premium for Health Insurance to ICICI Bank owing to reduction in premium rates.
- (b) “National Commission on Population” – saving of Rs.563.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for seminars on population stabilization and payment of token money to Directorate of Advertising and Visual Publicity for related activities.
- (VI) Under Major Head “3601” - “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-
- (A) “Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material” – saving of Rs.1953.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5640.00 lakhs) was due to non-purchase of Laparoscopes.
- (B) “Family Welfare – Direction & Administration – Maintenance of State/Distt. FW Bureaux” – saving of Rs.2071.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23170.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.

(गा) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकारण कार्यक्रम” - 5590.98 लाख रु. की बचत (29000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों को वैक्सीन की कम आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(घा) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण” -

(क) “राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)” - 1171.21 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)” - 310.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें औषधियों की आपूर्ति एड्स, क्षयरोग और मलेरिया का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने के कारण हुई।

(ग) “राष्ट्रीय वेक्टरवाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी)” - 1451.64 लाख रु. की बचत (12038.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3602” - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - नेमी टीकारण कार्यक्रम” - 474.30 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीनों की लागत का कम समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(खा) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम” - 120.00 लाख रु. की बचत (160.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग की प्रवृत्ति कम होने के कारण हुई।

(C) “Family Welfare – Reproductive and Child Health – Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.5590.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29000.00 lakhs) was due to less supply of Vaccine to the State Governments.

(D) “Public Health – Prevention and Control of Diseases” –

(a) “National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)” – saving of Rs.1171.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs); and

(b) “National T.B. Control Programme (General Component)” – saving of Rs.310.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to supply of drugs under Global Fund Projects to Fight AIDS, TB and Malaria.

(c) “National Vector Borne Diseases Control Programme(Rural)(E.A.C.)” – saving of Rs.1451.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12038.00 lakhs) was due to less demand from the State Governments.

(VII) Under Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Family Welfare – Reproductive and Child Health – Routine Immunisation Programme” – saving of Rs.474.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to less adjustment of cost of Vaccines.

(B) “Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Tuberculosis Control Programme(EAC)” – saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160.00 lakhs) was due to low trend of utilisation.

(VIII) बारह शीर्षों के अंतर्गत 822.92 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (100285.76 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 28054.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" - 480.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 466.24 लाख रु. था।

(ii) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/ अस्पतालों की स्थापना" - 11197.95 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10195.98 लाख रु. था।

(iii) "अस्पताल और औषधालय" -

(1) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - 2312.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2275.51 लाख रु. था।

(2) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" - 495.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 430.70 लाख रु. था।

(3) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - 239.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 289.35 लाख रु. था।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(i) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली" - 703.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 356.13 लाख रु. था।

(VIII) Under twelve heads savings of Rs.822.92 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.100285.76 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.28054.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Direction and Administration - National Medical Library" - Rs.480.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.466.24 lakhs.

(ii) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - Rs.11197.95 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10195.98 lakhs.

(iii) "Hospitals and Dispensaries" -

(1) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - Rs.2312.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2275.51 lakhs.

(2) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - Rs.495.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.430.70 lakhs.

(3) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - Rs.239.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.289.35 lakhs.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(i) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi" - Rs.703.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.356.13 lakhs.

- (ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.00 लाख रु. था।
- (iii) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" - 3000.00 लाख रु.।
- (iv) "सेवाग्राम स्थित चिकित्सा कालेज के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा को अनुदान" - 848.00 लाख रु.।
- (v) "वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली" - 150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 149.08 लाख रु. था।
- (ग) "लोक स्वास्थ्य" -
- (i) "रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण" -
- (1) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - 7442.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7426.55 लाख रु. था।
- (2) "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" - 25045.76 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 22555.15 लाख रु. था।
- (ii) "अन्य व्यय" -
- (1) "अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों को शिष्टमंडल" - 110.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 109.70 लाख रु. था।
- (2) "लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान" - 963.00 लाख रु. था।
- (3) "एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - 195.47 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 106.35 लाख रु. था।
- (4) "आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवियानफ्लू)" - 1300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1015.38 लाख रु. था।
- (ii) "Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore" - Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.00 lakhs.
- (iii) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - Rs.3000.00 lakhs.
- (iv) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - Rs.848.00 lakhs.
- (v) "Wardhman Mahavir Medical College, New Delhi" - Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.149.08 lakhs.
- (c) "Public Health" -
- (i) "Prevention and Control of Diseases" -
- (1) "National T.B. Control Programme" - Rs.7442.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7426.55 lakhs.
- (2) "National AIDS Control Programme" - Rs.25045.76 lakhs. Actual excess, however, was Rs.22555.15 lakhs.
- (ii) "Other Expenditure" -
- (1) "Delegations to International Health Conferences" - Rs.110.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.109.70 lakhs.
- (2) "Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi" - Rs.963.00 lakhs.
- (3) "Integrated Disease Surveillance Programme" - Rs.195.47 lakhs. Actual excess, however, was Rs.106.35 lakhs.
- (4) "Emergency Medical Relief (Avian Flu)" - Rs.1300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1015.38 lakhs.

- (iii) "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व स्वास्थ्य संगठन को अंशदान" - 477.76 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 477.75 लाख रु. था।
- (ख) मुख्य शीर्ष "2211" -
- (क) "जन शिक्षा - मुख्यालय में कार्यकलाप" - 1457.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1100.66 लाख रु. था।
- (ख) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल" - 36652.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 36668.66 लाख रु. था।
- (ग) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं" - 120.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 119.98 लाख रु. था।
- (घ) "अन्य व्यय - प्रबंधन सूचना प्रणाली" - 1774.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1560.71 लाख रु. था।
- (गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -
- (क) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - 597.03 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 596.41 लाख रु. था।
- (ख) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)" - 4523.75 लाख रु.। तथापि वास्तविक अधिक व्यय 4523.46 लाख रु. था।
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) मुख्य शीर्ष "2210" -
- (क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -
- (iii) "General - International Co-operation - Contribution to World Health Organisation" - Rs.477.76 lakhs. Actual excess, however, was Rs.477.75 lakhs.
- (B) Major Head "2211" -
- (a) "Mass Education - Activities at Headquarters" - Rs.1457.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1100.66 lakhs.
- (b) "Reproductive and Child Health - RCH Flexible Pool for State PIPs" - Rs.36652.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.36668.66 lakhs.
- (c) "Other Services and Supplies - Social Marketing Area Projects" - Rs.120.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.119.98 lakhs.
- (d) "Other Expenditure - Management Information System" - Rs.1774.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1560.71 lakhs.
- (C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -
- (a) "Family Welfare - Reproductive and Child Health - Pulse Polio Immunisation Programme" - Rs.597.03 lakhs. Actual excess, however, was Rs.596.41 lakhs.
- (b) "Public Health - Prevention and Control of Diseases - National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)" - Rs.4523.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4523.46 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (A) Major Head "2210" -
- (a) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

- (i) “भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान” - 3250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (23415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान” - 4200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (iii) “क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल” - 4300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (iv) “लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर” - 225.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (v) “क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल” - 384.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ख) “लोक स्वास्थ्य” -
- (i) “रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम” - 3675.22 लाख रु. का अधिक व्यय (11080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (i) “Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi” – excess of Rs.3250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23415.00 lakhs);
- (ii) “Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong” – excess of Rs.4200.00 lakhs (against nil provision);
- (iii) “Regional Institute of Medical Sciences, Imphal” – excess of Rs.4300.00 lakhs (against nil provision);
- (iv) “Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGRIMH) Tejpur” – excess of Rs.225.00 lakhs (against nil provision);
- (v) “Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal” – excess of Rs.384.00 lakhs (against nil provision); and
- (b) “Public Health” –
- (i) “Prevention and Control of Diseases – Trachoma and Blindness Control Programme” – excess of Rs.3675.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11080.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

- (ii) “सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई” - 211.86 लाख रु. का अधिक व्यय (799.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं का निपटान किए जाने और चिकित्सा/औषधि/कच्चा माल/उपस्करों आदि के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
- (ii) Manufacture of Sera/Vaccine – B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai” - excess of Rs.211.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.799.00 lakhs) was due to clearance of pending liabilities and increase in prices of medicine/drugs/raw materials/equipments etc.

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(क) "जन शिक्षा - सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जनसंचार इकाइयों के माध्यम से व्यय" - 715.15 लाख रु. का अधिक व्यय (7640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य व्यय - मिशन लचीला पूल" - 46892.02 लाख रु. का अधिक व्यय (268272.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं" -

(i) "शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन" - 565.00 लाख रु. का अधिक व्यय (5618.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेषों के परिसमापन की वजह से वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - 462.97 लाख रु. का अधिक व्यय (6350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण - एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - 684.81 लाख रु. का अधिक व्यय (6023.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केंद्र" - 19081.37 लाख रु. का अधिक व्यय (182044.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों

(B) Major Head "2211" -

(a) "Mass Education – Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" – excess of Rs.715.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7640.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure – Mission Flexible Pool" – excess of Rs.46892.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.268272.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services" –

(i) "Revamping of Urban FW Centres" – excess of Rs.565.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5618.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary owing to liquidation of unspent balances.

(ii) "Urban FW Centres" - excess of Rs.462.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6350.00 lakhs);

(b) "Family Welfare – Training – Training of ANM/LHV" – excess of Rs.684.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6023.00 lakhs); and

(c) "Family Welfare – Rural Family Welfare Services – Sub-Centres" - excess of Rs.19081.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.182044.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और अव्ययित शेषों के परिसमापन की वजह से वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्र" - 1470.28 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र में वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों का परिसमापन होने के कारण हुआ।

(ख) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - 157.23 लाख रु. का अधिक व्यय (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैक्सीनों की अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3606" - "यूनीसेफ से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढीकरण और पोलियो उन्मूलन संबंधी सामग्री सहायता" - 1140.98 लाख रु. का अधिक व्यय (9200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के बिल्कुल अंत में मुंह से पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत 399.67 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 6580 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (51518.30 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 5125.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards salary owing to liquidation of unspent balances.

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Family Welfare - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres" - excess of Rs.1470.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to requirement of additional funds towards salary in UT and liquidation of unspent balances of earlier years.

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health - Pulse Polio Immunisation Programme" - excess of Rs.157.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to more demand of Vaccines.

(E) Major Head "3606" - "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - excess of Rs.1140.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9200.00 lakhs) was due to additional requirement of Oral Polio Vaccine at the fag end of the year.

(III) Under five heads excess of Rs.399.67 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 6580 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.51518.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5125.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and constituted 66 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	70234.00		
पू.	S.	4895.00	28034.00	25865.47
पु.	R.	-47095.00		-2168.53
मुख्य शीर्ष "4211" परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4211" Capital Outlay on Family Welfare			
पू.	S.	230.00	230.00	..
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	925.00		
पु.	R.	-50.00	875.00	300.23
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	1400.00		
पु.	R.	-1400.00

(I) 51559.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 51384.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.51559.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.51384.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" -

(A) Major Head "4210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थाओं पर किया जाने

(a) "Urban Health Services - Other Expenditure - Expenditure to be incurred

वाला व्यय'' - 20000.00 लाख रु. निरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

on Institutions of higher learning as per Oversight Committee'' – Rs.20000.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme as per recommendations of the Oversight Committee.

(ख) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(b) "Public Health – Prevention and Control of Diseases'' –

(i) "राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 28554.00 लाख रु. स्कीम के लिए विश्व बैंक की प्रतिबद्धता प्राप्त न होने और उसके परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलंब होने के कारण थे।

(i) "National Vector Borne Disease Control Programme'' – Rs.28554.00 lakhs - due to non-receipt of commitment of World Bank for the scheme causing delay in procurement process.

(ii) "एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 1200.00 लाख रु. कम आवश्यकता होने की वजह से चरण-II और चरण-III जिलों और एवियान फ्लू संबंधी प्रयोगशाला उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(ii) "Bulk Purchase of Material and Equipment for Integrated Disease Surveillance Programme'' – Rs.1200.00 lakhs - due to non-procurement of Lab. Equipments meant for Phase-II & Phase-III districts and Avian Flu owing to less requirement.

(खा) मुख्य शीर्ष "4211'' - "अन्य व्यय'' -

(B) Major Head "4211'' – "Other Expenditure'' –

(क) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई'' - 200.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान भवन निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निधियां जारी न किए जाने के कारण था।

(a) "Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai'' – supplementary provision of Rs.200.00 lakhs - due to non-release of funds to Central Public Works Department for construction of building.

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़'' - 30.00 लाख रु. का पूरक प्रावधान योजना स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण था।

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh'' – supplementary provision of Rs.30.00 lakhs – due to non-approval of plan scheme

(गा) मुख्य शीर्ष "4552'' - "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य'' -

(C) Major Head "4552'' – "Medical and Public Health'' -

(क) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर'' - 600.00 लाख रु. प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से धनराशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(a) "Lokpriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur'' – Rs.600.00 lakhs - due to surrender of amount to non-lapsable pool owing to non-receipt of proposals.

(ख) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल'' - 500.00 लाख रु.; और

(b) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal'' – Rs.500.00 lakhs; and

(ग) “क्षेत्रीय पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल” - 300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “4210” - “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पताल और औषधालय” के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) “सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली” - 1900.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो 317.48 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं;

(खा) “डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली” - 820.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 995.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1815.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 160.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष “4210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना” - 259.81 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलेपैथी - वर्धमान महावीर कालेज, नई दिल्ली” - 500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” - “सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमेर, पांडिचेरी” - 462.13 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) “Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal” - Rs.300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head “4210” - “Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries” - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) “Safdarjung Hospital, New Delhi” - funds of Rs.1900.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.317.48 lakhs;

(B) “Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” - the original provision of Rs.820.00 lakhs was augmented to Rs.1815.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.995.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.160.87 lakhs;

(III) Under Major Head “4210” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Central Government Health Services - Setting up of Dispensaries/Hospitals” - saving of Rs.259.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(B) “Medical Education, Training and Research - Allopathy - Vardhman Mahaveer Medical College, New Delhi” - saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Other Housing - Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Pondicherry” - saving of Rs.462.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्माण कार्य पर प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.20 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद" - 515.98 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औषधियों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(क) "डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2130.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य पर प्रत्याशा से अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(ख) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "क्षेत्रीय पराचिकित्सा तथा परिचर्या विज्ञान संस्थान, ऐजवाल" - 204.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Savings under the above five heads were due to less expenditure on construction work than anticipated.

(V) Under one head saving of Rs.55.20 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Other Expenditure - Purchase of Materials in India and abroad" - excess of Rs.515.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of drugs.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -

(a) "Dr. RML PG Institute of Medical Education & Research, New Delhi" - excess of Rs.500.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2130.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs) was due to increased expenditure on construction work than anticipated.

(b) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - excess of Rs.500.00 lakhs (against nil provision); and

(c) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" - excess of Rs.204.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) “लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद” - 196.60 लाख रु. का अधिक व्यय (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षयरोग की औषधियों की आपूर्ति के लिए सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, करनाल को सार-संभाल और पैकिंग प्रभागों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(C) “Public Health – Prevention and Control of Diseases – Bulk Purchase of Material and Equipment for National Tuberculosis Control Programme” – excess of Rs.196.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to payment of handling and packing charges to Government Medical Store Depot, Karnal for supply of TB drugs.
